शुद्धिपत्र

संख्या-27/2025/001/82(1)/25-27-सिं-9-118 एसएवी/23

प्रेषक,

वी0एन0तिवारी,
उप सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 04 फरवरी, 2025**

विषय: रामपुर बांध के पुनर्वास एवं सुधार कार्यों की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-25/2025/001/82/25-27-सिं-9-118 एसएवी/23, दिनांक 03.02.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 2024-25 के अनु0 सं0-94 के लेखाशीर्षक-4700-17-051-10-14-24 के अन्तर्गत खैरमान जलाशय के नहर प्रणाली के पुनरोद्धार की परियोजना हेतु प्राविधानित बजट व्यवस्था रू0 87.00 लाख में से **बचत स्वरूप उपलब्ध धनराशि रू0 68.25 लाख को अन्तरण के माध्यम से जनपद** बुलन्दशहर में शिकारपुर राजवाहे के किमी0 0.000 से किमी0 48.371 तक की पुनर्स्थापना एवं नहरी भूमि के सीमांकन की परियोजना हेतु निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में त्रुटिवश **जनपद बुलन्दशहर में शिकारपुर राजवाहे के किमी0 0.000 से किमी0 48.371 तक की पुनर्स्थापना एवं नहरी भूमि के सीमांकन की परियोजना** अंकित हो गया है।

2- अत: उक्त शासनादेश में अंकित जनपद बुलन्दशहर में शिकारपुर राजवाहे के किमी0 0.000 से किमी0 48.371 तक की पुनर्स्थापना एवं नहरी भूमि के सीमांकन की परियोजना के स्थान पर **रामपुर बांध के पुनर्वास एवं सुधार कार्यों की परियोजना** पढ़ा जाय।

भवदीय,
वी0एन0तिवारी
उप सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (सरयू परि0-द्वितीय), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोण्डा।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- मुख्य अभियन्ता(सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, CMIS पोर्टल, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
वी0एन0 तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in